

मत्स्य निदेशालय
मत्स्य भवन, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची- 834002

“अल्पकालीन इच्छा की अभिव्यक्ति की सूचना”

मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना एवं तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत निम्नलिखित सामग्रियों के क्रय हेतु न्यूनतम दर निर्धारण के लिए संस्था/फर्म/आपूर्तिकर्ता से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

क्र०	आपूर्ति हेतु सामग्री का नाम	इच्छा की अभिव्यक्ति प्रपत्र का मूल्य (Non-refundable)
1	2	3
1	लाईफ जैकेट	2500
2	व्हील एयररेटर	2500
3	एफ०आर०पी० बोट (मोटरचालित नाव)	10000
4	गिल नेट	2500
5	ग्री आउट नेट	10000

इच्छा की अभिव्यक्ति विक्रय की तिथि : 22.09.2023 से 29.09.2023 तक कार्यालय अवधि में,
इच्छा की अभिव्यक्ति प्राप्ति एवं जमा करने का स्थान : मत्स्य निदेशालय, डोरण्डा, राँची-2,
इच्छा की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि : 04.10.2023 को 2.00 बजे अपराह्न तक,
इच्छा की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि : 04.10.2023 को 3.00 बजे अपराह्न ।

इच्छा की अभिव्यक्ति के प्रत्येक इकाईवार प्रपत्र उपरोक्त तिथि को कार्यालय अवधि में मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची से निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से राँची में भुगतये राष्ट्रीय बैंक का बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तें एवं Spacification मत्स्य निदेशालय के सूचनापट्ट अथवा वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org/prdjharkhand.in पर देखी जा सकती है।

योजना की स्वीकृति के अनुरूप कार्य आवंटन जिला स्तर पर किया जाएगा। बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

12/9/23
निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची.

मत्स्य बीज का उत्पादन, स्वरोजगार का अच्छा साधन

1575
12/9/23

लाईफ जैकेट आपूर्तिकर्ता हेतु शर्तें

झारखण्ड राज्य में निम्न प्रकार के लाईफ जैकेट की आपूर्ति करने हेतु दर का निर्धारण किया जाना है ।

Life Jacket MMD Approved
16.5 Kilos Floatability
Size-80X37X10 Cms
Soft neopolene foam & airex filling

क). लाईफ जैकेट आपूर्तिकर्ता के लिए तकनीकी बिड:-

1. आवेदनकर्ता को जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (Assessment Year- 2021-22 and 2022-23) का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. आवेदनकर्ता को लाईफ जैकेट आपूर्ति का सरकारी कार्यालय द्वारा निर्गत कम-से-कम विगत तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. आवेदनकर्ता यदि उद्योग/लघु उद्योग विभाग का UDYAM/MSME/NSIC से निबंधित हैं, तो संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे ।
5. आवेदनकर्ता को लाईफ जैकेट का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक नमूना के साथ फर्म का नाम टैग होना चाहिए ।
6. आवेदनकर्ता को निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से मो0 20,000.00 (बीस हजार) रु0 का राँची में भुगतयेय राष्ट्रीय बैंक का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था/फर्म को काली सूची में न डाले जाने संबंधी "स्व-घोषणा पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
8. निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण लाईफ जैकेट आपूर्ति करने एवं एक वर्ष की गारन्टी/वारन्टी का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।
9. तकनीकी बीड हेतु निर्धारित तकनीकी बीड के विहित प्रपत्र में ही तकनीकी बीड जमा करना होगा ।

ख). लाईफ जैकेट हेतु वित्तीय बीड:-

1. आवेदनकर्ता को निदेशालय द्वारा निर्धारित वित्तीय बीड के विहित प्रपत्र में ही वित्तीय बीड अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा ।
2. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय एवं दर सर्वमान्य होगा एवं L1 का दर अगले तीन वर्ष/अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा ।

ग). लाईफ जैकेट आपूर्ति हेतु अन्य शर्तें :-

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफों में मुहरबन्द कर, जमा किया जाएगा। उक्त दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में होने चाहिए। उसके उपर संबंधित विषय एवं फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 साफ-साफ अंकित होना चाहिए। प्रत्येक मुहरबंद

लिफाफा पर अलग-अलग "वित्तीय बीड" / "तकनीकी बीड" अवश्य अंकित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लिफाफे नहीं खोले जाएंगे। तकनीकी बीड में सफल आवेदनकर्ता का ही वित्तीय बीड खोले जाएंगे।

2. इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदनों को खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। आवश्यकतानुसार बैठक में भाग लेने समय प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्राधिकृत होने का प्रमाण-पत्र मांगा जायेगा।
3. आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर परिवहन सहित संबंधित जिले में लाईफ जैकेट का आपूर्ति करना होगा।
4. निदेशालय स्तर पर जमा किया गया अग्रधन सभी को वापस कर दिया जाएगा तथा जिस जिले में इनके द्वारा कार्य प्राप्त किया जाएगा/कार्यादेश प्राप्त होगा वहाँ एकरारनामा करते हुए Performance Security मो0 10000.00 (दस हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के पदनाम से उनके कार्यालय में जमा करना होगा। Performance Security की राशि एक वर्ष की गारन्टी पूर्ण होने पर बिना ब्याज के संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।
5. निदेशालय स्तरीय समिति को दर अधिक महसूस होने की अवस्था में वार्ता कर (Negotiation) दर निर्धारित करने एवं L1 की दर पर अन्य आवेदनकर्ता के सहमत होने पर लाईफ जैकेट आपूर्ति का आदेश दिये जाने का अधिकार होगा।
6. लाईफ जैकेट की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यादेश रद्द करते हुए Performance Security की राशि जब्त करने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा। यदि चयनित आवेदनकर्ता द्वारा लाईफ जैकेट आपूर्ति में शिथिलता बरती जाती है तो निर्धारित L1 दर पर अन्य सफल चयनित आवेदनकर्ता से लाईफ जैकेट लेने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा।
7. बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
8. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा अगले तीन वर्ष/अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा।
9. एन. आई. टी., इच्छा की अभिव्यक्ति का अंग होगा।
10. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
11. इच्छा की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों को शिथिल करने का अधिकार निदेशालय स्तरीय समिति को होगा।
12. यह विज्ञापन दर निर्धारण मात्र के लिए है, इस इच्छा की अभिव्यक्ति के विरुद्ध मत्स्य निदेशालय से कार्य दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी।

12/9/23
निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची

व्हील एयरेटर आपूर्तिकर्ता हेतु शर्तें

झारखण्ड राज्य में निम्न प्रकार के व्हील एयरेटर की आपूर्ति करने हेतु दर का निर्धारण किया जाना है ।

12 Paddle Wheel Aerator
2 HP, 50Hz, 440V, 2.8Amps,
Oxygenate capability 7.2Kg/h

क). व्हील एयरेटर आपूर्तिकर्ता के लिए तकनीकी बिड:-

1. आवेदनकर्ता को जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (Assessment Year- 2021-22 and 2022-23) का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. आवेदनकर्ता को व्हील एयरेटर आपूर्ति का सरकारी कार्यालय द्वारा निर्गत कम-से-कम विगत दो वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. आवेदनकर्ता यदि उद्योग/लघु उद्योग विभाग का UDYAM/MSME/NSIG से निबंधित हैं, तो संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे ।
5. आवेदनकर्ता को व्हील एयरेटर का नमूना का कैटलॉग संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
6. आवेदनकर्ता को निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से मो0 20,000.00 (बीस हजार) रु0 का राँची में भुगतये राष्ट्रीय बैंक का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था/फर्म को काली सूची में न डाले जाने संबंधी "स्व-घोषणा पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
8. निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण व्हील एयरेटर आपूर्ति करने एवं एक वर्ष की गारन्टी/वारन्टी का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।
9. तकनीकी बीड हेतु निर्धारित तकनीकी बीड के विहित प्रपत्र में ही तकनीकी बीड जमा करना होगा ।

ख). व्हील एयरेटर हेतु वित्तीय बीड:-

1. आवेदनकर्ता को निदेशालय द्वारा निर्धारित वित्तीय बीड के विहित प्रपत्र में ही वित्तीय बीड अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा ।
2. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय एवं दर सर्वमान्य होगा एवं L1 की दर अगले तीन वर्ष/अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा ।

ग). व्हील एयरेटर आपूर्ति हेतु अन्य शर्तें :-

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद कर, जमा किया जाएगा । उक्त दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में होने चाहिए । उसके उपर संबंधित विषय एवं फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 साफ-साफ अंकित होना चाहिए । प्रत्येक मुहरबंद लिफाफा पर अलग-अलग "वित्तीय बीड"/"तकनीकी बीड" अवश्य अंकित होनी



- चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लिफाफे नहीं खोले जाएंगे। तकनीकी बीड में सफल आवेदनकर्ता का ही वित्तीय बीड खोले जाएंगे।
2. इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदनों को खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। आवश्यकतानुसार बैठक में भाग लेने समय प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्राधिकृत होने का प्रमाण-पत्र मांगा जायेगा।
 3. आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर परिवहन सहित संबंधित जिले में व्हील एयरेटर का आपूर्ति करना होगा।
 4. निदेशालय स्तर पर जमा किया गया अग्रधन सभी को वापस कर दिया जाएगा तथा जिस जिले में इनके द्वारा कार्य प्राप्त किया जाएगा/कार्यादेश प्राप्त होगा वहाँ एकरारनामा करते हुए Performance Security मो0 10000.00 (दस हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के पदनाम से उनके कार्यालय में जमा करना होगा। Performance Security की राशि एक वर्ष की गारन्टी/वारन्टी पूर्ण होने पर बिना ब्याज के संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।
 5. निदेशालय स्तरीय समिति को दर अधिक महसूस होने की अवस्था में वार्ता कर (Negotiation) दर निर्धारित करने एवं L1 की दर पर अन्य आवेदनकर्ता के सहमत होने पर व्हील इरेटर आपूर्ति का आदेश दिये जाने का अधिकार होगा।
 6. व्हील एयरेटर की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यादेश रद्द करते हुए Performance Security की राशि जब्त करने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा। यदि चयनित आवेदनकर्ता द्वारा व्हील एयरेटर आपूर्ति में शिथिलता बरती जाती है तो निर्धारित L1 दर पर अन्य सफल चयनित आवेदनकर्ता से व्हील एयरेटर लेने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा।
 7. बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
 8. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा अगले एक तीन वर्ष/अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा।
 9. एन. आई. टी., इच्छा की अभिव्यक्ति का अंग होगा।
 10. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
 11. इच्छा की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों को शिथिल करने का अधिकार निदेशालय स्तरीय समिति को होगा।
 12. यह विज्ञापन दर निर्धारण मात्र के लिए है, इस इच्छा की अभिव्यक्ति के विरुद्ध मत्स्य निदेशालय से कार्य दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी।

12/9/23
निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची

एफ0आर0पी0 (मोटरचालित नाव) बोट आपूर्तिकर्ता हेतु शर्तें

झारखण्ड राज्य में निम्न प्रकार के एफ0आर0पी0 बोट (मोटरचालित नाव) की आपूर्ति करने हेतु दर का निर्धारण किया जाना है ।

FRP Boat Size- 14'-0" X 5'-4" X 2'-0"

9.9 HP, OBM HIDEA/SUZUKI/YAMAHA/OUTBOARD etc. equivalent.

Manual Rope Start

2 Stroke Petrol operated

Accessories-Oars (2 Nos.) and PP Rope-50Ft.

क). एफ0आर0पी0 बोट (मोटरचालित नाव) आपूर्तिकर्ता के लिए तकनीकी बिड:-

1. आवेदनकर्ता को जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (Assessment Year- 2021-22 and 2022-23) का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. आवेदनकर्ता को एफ0आर0पी0 बोट_आपूर्ति का सरकारी कार्यालय द्वारा निर्गत कम-से-कम विगत दो वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. आवेदनकर्ता जो उद्योग/लघु उद्योग विभाग का UDYAM/MSME/NSIC से निबंधित हैं, से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे ।
5. आवेदनकर्ता को एफ0आर0पी0 बोट_का नमूना का कैटलॉग संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
6. आवेदनकर्ता को निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से अग्रधन मो0 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) रु0 का राँची में भुगतये राष्ट्रीय बैंक का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था/फर्म को काली सूची में न डाले जाने संबंधी "स्व-घोषणा पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
8. निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण एफ0आर0पी0 बोट_आपूर्ति करने एवं दो वर्ष की गारन्टी/वारन्टी का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।
9. तकनीकी बीड हेतु निर्धारित तकनीकी बीड के विहित प्रपत्र में ही तकनीकी बीड जमा करना होगा ।

ख). एफ0आर0पी0 बोट (मोटरचालित नाव) हेतु वित्तीय बीड:-

1. आवेदनकर्ता को निदेशालय द्वारा निर्धारित वित्तीय बीड के विहित प्रपत्र में ही वित्तीय बीड अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा ।
2. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय एवं दर सर्वमान्य होगा एवं L1 की दर अगले तीन वर्ष/अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा ।

ग). एफ0आर0पी0 बोट (मोटरचालित नाव) आपूर्ति हेतु अन्य शर्तें :-

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद कर, जमा किया जाएगा । उक्त दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में होने चाहिए । उसके उपर संबंधित विषय एवं फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 साफ-साफ अंकित होना चाहिए । प्रत्येक मुहरबंद

- लिफाफा पर अलग-अलग "वित्तीय बीड" / "तकनीकी बीड" अवश्य अंकित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लिफाफे नहीं खोले जाएंगे। तकनीकी बीड में सफल आवेदनकर्ता का ही वित्तीय बीड खोले जाएंगे।
2. इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदनों को खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। आवश्यकतानुसार बैठक में भाग लेने समय प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्राधिकृत होने का प्रमाण-पत्र मांगा जायेगा।
 3. आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर परिवहन सहित संबंधित जिले में एफ0आर0पी0 बोट_का आपूर्ति करना होगा।
 4. निदेशालय स्तर पर जमा किया गया अग्रधन सभी को वापस कर दिया जाएगा तथा जिस जिले में इनके द्वारा कार्य प्राप्त किया जाएगा/कार्यादेश प्राप्त होगा वहाँ एकरारनामा करते हुए Performance Security मो0 50000.00 (पचास हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के नाम से उनके कार्यालय में जमा करना होगा। Performance Security की राशि दो वर्ष की गारन्टी/वारन्टी पूर्ण होने पर बिना ब्याज के संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।
 5. निदेशालय स्तरीय समिति को दर अधिक महसूस होने की अवस्था में वार्ता कर (Negotiation) दर निर्धारित करने एवं L1 की दर पर अन्य आवेदनकर्ता के सहमत होने पर एफ0आर0पी0 बोट_आपूर्ति का आदेश दिये जाने का अधिकार होगा।
 6. एफ0आर0पी0 बोट की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यादेश रद्द करते हुए Performance Security की राशि जब्त करने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा। यदि चयनित आवेदनकर्ता द्वारा एफ0आर0पी0 बोट_आपूर्ति में शिथिलता बरती जाती है तो निर्धारित L1 दर पर अन्य सफल चयनित आवेदनकर्ता से एफ0आर0पी0 बोट लेने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा।
 7. बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
 8. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा अगले तीन वर्ष/अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा।
 9. एन. आई. टी., इच्छा की अभिव्यक्ति का अंग होगा।
 10. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
 11. इच्छा की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों को शिथिल करने का अधिकार निदेशालय स्तरीय समिति को होगा।
 12. यह विज्ञापन दर निर्धारण मात्र के लिए है, इस इच्छा की अभिव्यक्ति के विरुद्ध मत्स्य निदेशालय से कार्य दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी।

12/9/23
निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची.

गिल नेट आपूर्तिकर्ता हेतु शर्तें

झारखण्ड राज्य में निम्न प्रकार के गिल नेट की आपूर्ति करने हेतु दर का निर्धारण किया जाना है ।

Gill Net-Fish Net Nylon Poly
Twin size-1/3
Mesh size-75mm-150mm
M.D 100

क). गिल नेट आपूर्तिकर्ता के लिए तकनीकी बिड:-

1. आवेदनकर्ता को जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (Assessment Year- 2021-22 and 2022-23) का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. आवेदनकर्ता को गिल नेट आपूर्ति का सरकारी कार्यालय द्वारा निर्गत कम से कम विगत तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. आवेदनकर्ता यदि उद्योग/लघु उद्योग विभाग का UDYAM/MSME/NSIC से निबंधित हैं, तो संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे ।
5. आवेदनकर्ता को गिल नेट का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं नमूने के साथ नमूने का स्पेसीफिकेशन/फर्म/संस्था/आपूर्तिकर्ता का टैग लगा होना आवश्यक होगा ।
6. आवेदनकर्ता को निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से मो0 20,000.00 (बीस हजार) रु0 का राँची में भुगतये राष्ट्रीय बैंक का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था/फर्म/आपूर्तिकर्ता को काली सूची में न डाले जाने संबंधी "स्व-घोषणा पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
8. तकनीकी बीड हेतु निर्धारित तकनीकी बीड की प्रोफोर्मा में ही तकनीकी बीड जमा करना होगा ।

ख). गिल नेट हेतु वित्तीय बीड:-

1. आवेदनकर्ता को निदेशालय द्वारा निर्धारित वित्तीय बीड के विहित प्रपत्र में ही वित्तीय बीड अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा ।
2. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय एवं दर सर्वमान्य होगा एवं L1 की दर अगले तीन वर्ष/अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा ।

ग). गिल नेट आपूर्ति हेतु अन्य शर्तें :-

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफों में मुहरबन्द कर, जमा किया जाएगा। उक्त दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में होने चाहिए। उसके उपर संबंधित विषय एवं फर्म/संस्था/आपूर्तिकर्ता का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 साफ-साफ अंकित होना

- चाहिए। प्रत्येक मुहरबंद लिफाफा पर अलग-अलग "वित्तीय बीड" / "तकनीकी बीड" अवश्य अंकित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लिफाफे नहीं खोले जाएंगे। तकनीकी बीड में सफल आवेदनकर्ता का ही वित्तीय बीड खोलें जाएंगे।
2. इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदनों को खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। आवश्यकतानुसार बैठक में भाग लेने समय प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्राधिकृत होने का प्रमाण-पत्र मांगा जायेगा।
 3. आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर परिवहन सहित संबंधित जिले में गिल नेट का आपूर्ति करना होगा।
 4. निदेशालय स्तर पर जमा किया गया अग्रधन सभी को वापस कर दिया जाएगा तथा जिस जिले में इनके द्वारा कार्य प्राप्त किया जाएगा/कार्यादेश प्राप्त होगा वहाँ एकरारनामा करते हुए Performance Security मो0 20000.00 (बीस हजार) रु0 का बैंक ड्राफ्ट संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के नाम से उनके कार्यालय में जमा करना होगा। Performance Security की राशि, कार्य पूर्ण होने पर बिना ब्याज के संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।
 5. निदेशालय स्तरीय समिति को दर अधिक महसूस होने की अवस्था में -वार्ता कर (Negotiation) दर निर्धारित करने एवं L1 की दर पर अन्य आवेदनकर्ता के सहमत होने पर गिल नेट आपूर्ति का आदेश दिये जाने का अधिकार होगा।
 6. गिल नेट की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यादेश रद्द करते हुए Performance Security की राशि जब्त करने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा। यदि चयनित आवेदनकर्ता द्वारा गिल नेट आपूर्ति में शिथिलता बरती जाती है तो निर्धारित L1 दर पर अन्य सफल चयनित आवेदनकर्ता से गिल नेट लेने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा।
 7. बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
 8. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा अगले तीन वर्ष/अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा।
 9. एन. आई. टी., इच्छा की अभिव्यक्ति का अंग होगा।
 10. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
 11. इच्छा की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों को शिथिल करने का अधिकार निदेशालय स्तरीय समिति को होगा।
 12. यह विज्ञापन दर निर्धारण मात्र के लिए है, इस इच्छा की अभिव्यक्ति के विरुद्ध मत्स्य निदेशालय से कार्य दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी।

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची

केज के लिए ग्रो आउट नेट आपूर्तिकर्ता हेतु शर्तें

झारखण्ड राज्य में केज कल्चर के लिए निम्न प्रकार के ग्रो आउट नेट की आपूर्ति करने हेतु दर का निर्धारण किया जाना है ।

Net -	Grow out Net
Size-	6 मी0 x 4 मी0 x 5 मी0, 6 मी0 x 6 मी0 x 5 मी0, 8 मी0 x 6 मी0 x 5 मी0 एवं 12 मी0 x 8 मी0 x 5 मी0
Twin Size-	45 Ply
Eye size/Mesh size-	12-24 mm eye size
Material of Net-	Nylon 210D Knotless and Knotted
Guarantee:	Nets should have at least two years guarantee against natural wear and tear in water and sunlight.

क). ग्रो आउट नेट आपूर्तिकर्ता के लिए तकनीकी बिड:-

1. आवेदनकर्ता को जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. आवेदनकर्ता को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (Assessment Year- 2021-22 and 2022-23) का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. आवेदनकर्ता को जलाशय, नदी के केज में ग्रो आउट नेट लगाने अथवा केज का ग्रो आउट नेट बनाने का सरकारी कार्यालय द्वारा निर्गत कम-से-कम विगत तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. आवेदनकर्ता यदि उद्योग/लघु उद्योग विभाग का UDYAM/MSME/NSIC से निबंधित हैं, तो संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे ।
5. आवेदनकर्ता को ग्रो आउट नेट 45 प्लाई (45 Ply) Knotless and Knotted का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा नमूना के साथ फर्म का नाम टैग होना चाहिए ।
6. आवेदनकर्ता को निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची (Director of Fisheries, Jharkhand) के पदनाम से मो0 1,00,000.00 (एक लाख) रु0 का राँची में भुगतये राष्ट्रीय बैंक का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था/फर्म को काली सूची में न डाले जाने संबंधी "स्व-घोषणा पत्र" संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
8. निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ग्रो आउट नेट आपूर्ति करने एवं दो वर्ष की प्राकृतिक wear and tear की गारन्टी का स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।
9. तकनीकी बीड हेतु निर्धारित तकनीकी बीड विहित प्रपत्र में ही तकनीकी बीड जमा करना होगा ।

ख). ग्रो आउट नेट आपूर्ति हेतु वित्तीय बीड:-

1. आवेदनकर्ता को निदेशालय द्वारा निर्धारित वित्तीय बीड के विहित प्रपत्र में ही वित्तीय बीड अलग सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा ।
2. वित्तीय बीड की प्रोफोर्मा में ही 45 PLY Knotless and Knotted हेतु अलग-अलग दर अंकित करना होगा ।
3. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय एवं दर सर्वमान्य होगा एवं LI की दर अगले तीन वर्ष/अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगा ।

ग). ग्रो आउट नेट आपूर्ति हेतु अन्य शर्तें :-

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफों में मुहरबन्द कर, जमा किया जाएगा। उक्त दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में होने चाहिए। उसके उपर संबंधित विषय एवं फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नं० साफ-साफ अंकित होना चाहिए। प्रत्येक मुहरबंद लिफाफा पर अलग-अलग "वित्तीय बीड" / "तकनीकी बीड" अवश्य अंकित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर लिफाफे नहीं खोले जाएंगे। तकनीकी बीड में सफल आवेदनकर्ता के ही वित्तीय बीड खोलें जाएंगे।
2. इच्छा की अभिव्यक्ति आवेदनों को खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। आवश्यकतानुसार बैठक में भाग लेने समय प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्राधिकृत होने का प्रमाण-पत्र मांगा जायेगा।
3. आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर परिवहन सहित संबंधित जिले में ग्रो आउट नेट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करना होगा।
4. निदेशालय स्तर पर जमा किया गया अग्रधन सभी को वापस कर दिया जाएगा तथा जिस जिले में इनके द्वारा कार्य प्राप्त किया जाएगा/कार्यादेश प्राप्त होगा वहाँ एकरारनामा करते हुए 50000.00 (पचास हजार) रु० का Performance Security संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के नाम से उनके कार्यालय में जमा करना होगा। Performance Security की राशि दो वर्ष की गारन्टी पूर्ण होने पर बिना ब्याज के संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।
5. निदेशालय स्तरीय समिति को दर अधिक महसूस होने की अवस्था में वार्ता (Negotiation) कर दर निर्धारित करने एवं L1 की दर पर अन्य आवेदनकर्ता के सहमत होने पर ग्रो आउट नेट आपूर्ति का आदेश दिये जाने का अधिकार होगा।
6. ग्रो आउट नेट की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यादेश रद्द करते हुए Performance Security की राशि जप्त करने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा। यदि चयनित आवेदनकर्ता द्वारा ग्रो आउट नेट आपूर्ति में शिथिलता बरती जाती है तो निर्धारित L1 दर पर अन्य सफल चयनित आवेदनकर्ता से ग्रो आउट नेट लेने का अधिकार संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को होगा।
7. स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों के अधीन सामग्रीयों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
8. बिना कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
9. निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा तीन वर्ष/अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा।
10. एन. आई. टी., इच्छा की अभिव्यक्ति का अंग होगा।
11. आवेदन खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

12. इच्छा की अभिव्यक्ति के नियम एवं शर्तों को शिथिल करने का अधिकार निदेशालय स्तरीय समिति को होगा।
13. यह विज्ञापन दर निर्धारण मात्र के लिए है, इस इच्छा की अभिव्यक्ति के विरुद्ध मत्स्य निदेशालय से कार्य दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी।

12/9/23

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची

